

485

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(64)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक 19 JAN 2014

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/जयमेर विभाग प्रभिकरण, जयपुर/जोधपुर/जयमेर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (संज्ञा) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त, राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
7. परिसर नगर नियोजक (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13" के दौरान दिनांक 31.12.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं छूटों के संबंध में दिश-निर्देश।

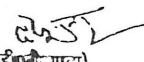
उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के अनुसरण में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" हेतु विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा और इसके अनुक्रम में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के तहत अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं/छूटें दी गयी हैं तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.2.2013 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012-13 की follow up अवधि अब तक लागू सभी शिथिलताओं, छूटों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) के साथ दिनांक 31.3.2013 से बढ़ाकर दिनांक 30.6.2013 की गयी, तत्पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेशों द्वारा उक्त अवधि दिनांक 30 सितम्बर 2013 निर्धारित कर उक्त शिथिलताएं/छूटें एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लागू माने जाने बाबत आदेश प्रसारित किये गये। तत्पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26.9.2013 द्वारा दिनांक 30.9.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.2013 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार "प्रशासन शहरों के संग अभियान" को अवधि दिनांक 31.01.2014 तक बढ़ाई जाती है। दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के दौरान विभिन्न आदेशों के द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं/छूटें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगा।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012-13 के दौरान दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो, तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डी०बी०एम०)
प्रमुख मन्त्र सचिव

(435)